Order & Dekree

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी– दुर्गाशंकर मीना, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 93 / 15

1 हरकचन्द, हुकमचन्द पुत्रान केसरीलाल
2 अशोक पुत्र स्व. लालचन्द
3 मोहनी, इन्द्रा, सुनीता पुत्रियां स्व. लालचन्द
4 शान्ति बाई बेवा स्व. लालचन्द
5 राहुल पुत्र स्व. विमल कुमार
6 श्वेता, निकिता, शिखा पुत्रियां
7 श्रीमती कल्पना बेवा पत्नी स्व. विमल कुमार
8 कपिल पुत्र स्व. ज्ञानचन्द
9 मोनिका पुत्री स्व. ज्ञानचन्द
10 श्रीमती सुशीला विधवा पत्नी स्व. ज्ञानचन्द
जाति महाजन, निवासीगण कस्बा कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा —(वादीगण)

बनाम

1 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा —(प्रतिवादी)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राज. टी. एक्ट

दिनांक : 12.04.2018

उपस्थिति : श्री बद्री प्रसाद शर्मा, अभिभाषक वादीगण

निर्णय

वादीगण की ओर से एक वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया गया कि वादी नम्बर 1 व 2 एवं वादी नम्बर 3 लगायत 15 के दादा एवं ससुर के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी पुराना खसरा नम्बर 287 की 25 बीघा 6 बिस्वा आराजी किस्म बारानी दौयम वाके ग्राम रानीपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में स्थित है, जिसके सम्वत 2038 से 2057 में सेटलमेंट कार्य के दौरान नये खसरा नम्बर 331 रकबा 3.76 हैक्टर कायम किये गये है, जबकि गत रकबे 25 बीघा 6 बिस्वा के अनुसार नया रकबा 4.05 हैक्टर कायम किया जाना चाहिये था जबकि सैटलमेन्ट विभाग ने नया रकबा 3.76 हैक्टर दर्ज किया है, जो गत रकबे से 0.29 हैक्टर कम दर्ज किया है। इसके अलावा वादी नम्बर 1 व 2 एवं 3 लगायत 15 के दादा, व ससुर को ग्राम रानीपुरा तह0 लाडपुरा में दिनांक 06–05–1976 को आराजी खसरा नम्बर 286 की 9 बिस्वा व 301 की 1 बीघा 9 बिस्वा कुल 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी और जो इन्तकाल नम्बर 82 से दिनांक 06–05–1976 को लालचन्द, हरकचन्द, हुकमचन्द के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज गैरखातेदारी में की गई और जो उनके स्वर्गवास के उपरान्त वादीगण के गैरखातेदारी में दर्ज की गई है और जिसके कि सेटलमेन्ट बाद नये नम्बर 329 रकबा 0.44 हैक्टर व 332 रकबा 0.09 हैक्टर कायम करते हुये कुल 0.53 हैक्टर आराजी वादीगण के गैरखातेदारी में दर्ज की गई जबकि गत रकबे 1 बीघा 18 बिस्वा के अनुसार नया रकबा 0.30 हैक्टर कायम किया जाना चाहिये था और इसमें 0.23 हैक्टर रकबा वादीगण के खातेदारी का मिलाते हुये गैरखातेदारी में दर्ज कर दिया गया है जो कि कम होकर वादीगण के खातेदारी के खसरा नम्बर 331 में मिलाकर तथा शेष रकबा अन्य भूमि से पूर्ति कर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.) कोटा

सम्पूर्ण रकबा 4.06 हैक्टर कायम कर वादीगण के खाते दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती किया जाने के वादीगण अधिकारी हैं। सेटलमेन्ट विभाग को इस प्रकार से एक्जैस्टिंग रिकार्ड व रकबे को कमी बेशी करने व परिवर्तन करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है तथा सेटलमैन्ट विभाग द्वारा की गई इस प्रकार की गलती शुरू से ही प्रभाव–शून्य मानी गई है और इस आधार पर वादीगण पूर्ववत रकबे व रिकार्ड में दुरूस्ती व अमल कराने के अधिकारी है। इसी प्रकार भूमि का आवंटन हुये 10 वर्ष से अधिक हो जाने से वादीगण को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है, जो खातेदारी में दर्ज होने योग्य हैं। मौके पर सम्पूर्ण रकबा पूर्ववत यथावत कायम चला आ रहा है, और वादी गण का सम्पूर्ण रकबे पर पूर्ववत कब्जा मौके पर है और सैटलमेन्ट विभाग ने बिना किसी कारण के वादीगण की खाते की व गैरखातेदारी की भूमि का रकबा इधर उधर कर कम ज्यादा दर्ज कर दिया है तथा इसी प्रकार सैटलमेन्ट द्वारा जो नक्शा ट्रेस बनाया गया है वह भी गलत बना दिया गया है जो कि उपरोक्तानुसार दुरूस्त करवाने के वादीगण अधिकारी है।

इस सम्बन्ध में वादीगण को जानकारी होने पर उन्होने कई बार राजस्व अधिकारियों से रिकार्ड, रकबे व नक्शा टेस में दुरूस्ती हेतु निवेदन किये किन्तु वे टालटूल करते रहे और रिकार्ड व रकबे तथा नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती नहीं की गई और दिनांक 26–08–2015 को तहसीलदार साहब, लाडपुरा ने दर्ज रकबे से अधिक पर वादीगण को अतिक्रमी मानकर शीघ्र बेदखल करने की धमकी दी है और इसलिये वादीगण को प्रतिवादी के अवैधानिक कृत्य को रोकने हेतु यह वाद पेश कर स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अलावा अन्य कोई उपाय उपलब्ध नहीं है। स्टेट आफ राजस्थान लैण्ड होल्डर होने से वाद में आवश्यक पक्षकार है, जिसके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 सी0पी0सी0 के तहत दो माह का मियादी नोटिस प्रेषित किया जाना आवश्यक है, किन्तु वाद अर्जेन्ट नेचर का होने से नोटिस दिया जाना संभव नहीं है, क्योंकि यदि नोटिस दिया जाकर दो माह इन्तजार किया गया तो प्रतिवादी सेटलमेन्ट द्वारा किये गलत इन्द्राज के आधार पर वादीगण को उसके खाते की आराजी जो सेटलमेन्ट द्वारा कम दर्ज कर दी गई है, उससे वादीगण को ताकत के बल पर बेदखल कर देगें, जिससे वाद पेश करने का मकसद समाप्त हो जावेगा इसलिये धारा 80(2) सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र पृथक से अनुमति हेतु पेश किया गया है। प्रस्तुत वाद का वाद कारण दौराने सेटलमेन्ट वादीगण के खाते की, तथा गैरखातेदारी भूमि का रकबा कम ज्यादा दर्ज कर देने और गलत नक्शा ट्रेस बना दिये जाने और तदुपरान्त अनेको निवेदन के बावजूद राजस्व अधिकारियों द्वारा दुरूस्ती इन्द्राज नहीं करने तथा दिनांक 01–09–2015 को तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती से इन्कार करते हुये शीघ्र ही अधिक रकबे से वादीगण को बेदखल करने की धमकी देने और वादीगण को बेदखल करने की धमकी देने और वादीगण की कोई भी बात मानने से स्पष्ट इनकार कर देने पर माननीय न्यायालय के न्याय क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में, प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री फरमाई जावे कि आराजी गत खसरा नम्बर 287 रकबा 25 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम रानीपूरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा जिसके सेटलमेंन्ट के दौरान नये नम्बर 331 रकबा 3.76 हैक्टर कायम किये गये है उसका रकबा गत रकबे अनुसार 3.76 हैक्टर कायम किये गये है उसका रकबा गत रकबे अनुसार 3.76 हैक्टर के स्थान पर नया रकबा 4.05 हैक्टर कायम कर 4.05 का खातेदार वादीगण को घोषित कर वादीगण के खातेदारी में दर्ज किया जावे, व 0.29 हैक्टर रकबा जो कि खसरा नम्बर 286 व अन्य आराजी में मिला दिया गया है, उसमें से कम कर वादीगण का रकबा पूर्ण किया जावे और इसी अनुरूप रिकार्ड व रकबे में दुरूस्ती व अमल दरामद किया जावे तथा वाद पत्र की मद सं0 2 में वर्णित आराजी गत खसरा नम्बर 286 की 9 बिस्वा, व खसरा नम्बर 301 की 1 बीघा 9 बिस्वा कुल 1 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम रानीपुरा तह0 लाडपुरा जिसके सैटलमैन्ट बाद नये खसरा नम्बर 329 रकबा 0.44 हैक्टर व खसरा नम्बर 332 रकबा 0.09 हैक्टर कुल 0.53 हैक्टर कायम किया जाकर लालचन्द, हरकचन्द व हुकमचन्द के नाम गैर खातेदारी में दर्ज किया गया है, उसका रकबा गत रकबे 1 बीघा 18 बिस्वा के अनुसार नया रकबा 0.30 हैक्टर कायम किया जाकर शेष 0.23 हैक्टर रकबा इस नम्बर से हटाकर वादीगण के गैरखातेदारी के स्थान पर खातेदारी में दर्ज किया जावे, तथा इसी अनुरूप रिकार्ड व रकबे में दुरूस्ती व अमल दरामद किया जावे। साथ ही

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.) कोटा

प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि रिकार्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर वह खसरा नम्बर 331 की 4.05 हैक्टर आराजी या उसके किसी भाग से वादीगण को अवैध व अनाधिकृत तरीके से ताकत के बल पर न तो बेदखल करे और न उनके कब्जे काश्त में मजाहमत करे और न बेदखली की कार्यवाही करें। ऐसा कार्य न तो प्रतिवादी स्वयं करे और न अपने प्रतिनिधियो, कर्मचारियों व एजेन्टों से करावे। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में ग्राम रानीपुरा, तहसील लाडपुरा, कोटा के निम्न राजस्व अभिलेख पेश किये गये –

1 खसरा नम्बर 329 व 332 की नकल जमाबन्दी संवत 2072–2075
2 गत खसरा नम्बर 301 मि. व 286 का मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–2057
3 खसरा नम्बर 329 व 332 की नकल जमाबन्दी संवत 2038–2057
4 नामान्तरकरण संख्या 82 दिनांक 4.12.1976 की नकल।
5 गत खसरा नम्बर 287 की नकल जमाबन्दी संवत 2016–2024
6 गत खसरा नम्बर 287 का मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–2057
7 खसरा नम्बर 331 की नकल जमाबन्दी संवत 2072–2075

न्यायालय में वाद पेश होने पर प्रतिवादी की तलवी उपरान्त, प्रतिवादी को लगातार अवसर दिये जाने के बावजूद भी उनकी ओर से न तो कोई उपस्थित हुआ और न ही प्रतिवादी की ओर से कोई जवाब एवं साक्ष्य पेश किये गये। इस हेतु न्यायालय की ओर से भी प्रतिवादी को प्रकरण के सम्बन्ध में जवाब दावा एवं साक्ष्य अथवा कोई रिपोर्ट आदि पेश किये जाने हेतु अन्तिम अवसर दिये जाने के बावजूद भी प्रतिवादी की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देने के फलस्वरूप प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तदुपरान्त, वादी वकील की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई। वादी वकील द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुये वादीगण को वाद पत्र में चाही गई न्यायोचित सहायता उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वादीगण के विद्वान अभिभाषक की बहस के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन के आधार पर वादीगण के खाते से गत रकबे के मुकाबले 0.29 हैक्टर आराजी के कम होने तथा वादीगण को आवंटित खसरा नम्बरान के रकबे में 0.23 हैक्टर की बढोतरी होने के कथन की पुष्टि हो रही है। विवादित आराजी के खसरा नम्बर 329, 331, 332 के मौका नक्शें के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपराक्त तीनों खसरा नम्बरान एक दूसरे के निकटस्थ तथा अडवा स्थित है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन से वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम रानीपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर 329 रकबा 0.44 हैक्टर में से 0.23 हैक्टर कम किया जाकर खसरा नम्बर 329 का रकबा 0.21 दर्ज किये जाने तथा खसरा नम्बर 329 में से कम हुये रकबे 0.23 हैक्टर को खसरा नम्बर 331 रकबा 3.76 हैक्टर में जोडते हुये खसरा नम्बर 332 का रकबा 3.99 हैक्टर दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। उक्तानुसार इन्द्राज दुरूस्ती उपरान्त वादीगण को खसरा नम्बर 329 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 332 रकबा 0.09 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 332 रकबा 3.99 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12 अप्रेल, 2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

12/4/18

(दुर्गा शंकर मीना)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी– श्री दुर्गा शंकर मीना, R.A.S.

बउनवान :–

1 हरकचन्द, हुकमचन्द पुत्रान केसरीलाल
2 अशोक पुत्र स्व. लालचन्द
3 मोहनी, इन्द्रा, सुनीता पुत्रियां स्व. लालचन्द
4 शान्ति बाई बेवा स्व. लालचन्द
5 राहुल पुत्र स्व. विमल कुमार
6 श्वेता, निकिता, शिखा पुत्रियां
7 श्रीमती कल्पना बेवा पत्नी स्व. विमल कुमार
8 कपिल पुत्र स्व. ज्ञानचन्द
9 मोनिका पुत्री स्व. ज्ञानचन्द
10 श्रीमती सुशीला विधवा पत्नी स्व. ज्ञानचन्द
जाति महाजन, निवासीगण कस्बा कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा –(वादीगण)

बनाम

1 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा –(प्रतिवादी)

दावा बाबत : 88, 89, 92A, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 93/15
निर्णय दिनांक : 12-04-2018

न्यायालय हाजा में वादीगण की ओर से वादी अभिभाषक श्री श्री बद्री प्रसाद शर्मा की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 12–04–2018 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा शंकर मीना, आर.ए.एस. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम रानीपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर 329 रकबा 0.44 हैक्टर में से 0.23 हैक्टर कम किया जाकर खसरा नम्बर 329 का रकबा 0.21 दर्ज किये जाने तथा खसरा नम्बर 329 में से कम हुये रकबे 0.23 हैक्टर को खसरा नम्बर 331 रकबा 3.76 हैक्टर में जोडते हुये खसरा नम्बर 332 का रकबा 3.99 हैक्टर दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। उक्तानुसार इन्द्राज दुरूस्ती उपरान्त वादीगण को खसरा नम्बर 329 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 332 रकबा 0.09 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 332 रकबा 3.99 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 12 अप्रेल, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

12/4/18

(दुर्गा शंकर मीना)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.) कोटा

वाद के खर्चे

वादी		रूपया	प्रतिवादी		रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		